

प्रेषक,

कमलेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
शिवहर/सीतामढ़ी/अरवल/जहानाबाद/लखीसराय/
नालंदा/शेखपुरा/बेगूसराय/खगड़िया/जमुई/सुपौल/
सहरसा/मधेपुरा/बांका/प0 चम्पारण/कटिहार/
किशनगंज/मुंगेर/पूर्णियां/अररिया।

पटना, दिनांक :- 25.04.2025

विषय:- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत राजस्व ग्रामों का अंतिम रूप से प्रकाशित (प्रपत्र-20) अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को संरक्षित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम-14 उपनियम 6 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं-

"समुचित जाच-पड़ताल एवं तुलना के बाद नए तेरीज एवं खेसरा पंजी के आधार पर अंतिम प्रकाशन हेतु प्रपत्र-20 में चार प्रतियों में अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को 'सफाई' कहा जाएगा। अधिकार-अभिलेख की एक प्रति जो 'रैयती फर्द' कहलाएगी, सम्बन्धित रैयतों को उपलब्ध करायी जाएगी। द्वितीय प्रति अभिधारी खाता पंजी तैयार करने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को भेज दी जाएगी। तृतीय प्रति जो 'मालिकी फर्द' कहलाएगी, संबंधित जिला के समाहर्ता को उपलब्ध करायी जाएगी। चतुर्थ प्रति परिरक्षण एवं भावी निर्देश हेतु निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार की अभिरक्षा में रहेगी।"

उक्त के आलोक में कतिपय जिलों द्वारा अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार की अभिरक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया है। निदेशालय को प्राप्त अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के अवलोकनोपरान्त निम्नांकित निर्देश दिया जाता है :-

- (1) अंतिम अधिकार अभिलेख (रैयती फर्द को छोड़कर), जो 03 प्रतियों (बुक) में तैयार किया जाना है, उसे सुव्यवस्थित तरीके से जिल्दबन्द (बाईन्डिंग) करायी जाए।
- (2) अंतिम अधिकार अभिलेख को बाईन्डिंग कराकर उसके ऊपर (मुख्य भाग पर) जिला का नाम, अंचल का नाम, राजस्व ग्राम का नाम एवं थाना संख्या प्रिंट कर चस्पा किया जाए।
- (3) नियमावली के नियम-14 उपनियम-6 के अन्तर्गत जिल्दबन्द (बाईन्डिंग) अधिकार अभिलेख की एक-एक प्रति (बुक) संबंधित समाहर्ता, संबंधित अंचल एवं निदेशालय को हस्तगत कराई जाए।
- (4) अन्तिम प्रकाशन उपरांत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा 3 प्रतियों में उपलब्ध कराये जाने वाले विशेष सर्वेक्षण मानचित्रों का पेपर (कागज) 150 GSM के कागज में मुद्रित किया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि उक्त निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।


विश्वासभाजन

(कमलेश कुमार सिंह)


निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण


ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (अभिलेख/मानचित्र) 20/2025.....पटना, दिनांक 25.04.2025
प्रतिलिपि :- बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण/ सिवान/ गोपालगंज/ बक्सर/भोजपुर/
कैमूर/औरंगाबाद/रोहतास/नवादा/पटना/दरभंगा/समस्तीपुर/मधुबनी/पूर्वी चम्पारण/वैशाली/
मुजफ्फरपुर/गया/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक


ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (अभिलेख/मानचित्र) 20/2025.....पटना, दिनांक 25.04.2025
प्रतिलिपि :- सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय)
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक


ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (अभिलेख/मानचित्र) 20/2025.....पटना, दिनांक 25.04.2025
प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/विशेष कार्य
पदाधिकारी/अवर सचिव, भू-अभिलेख एवं परिमाण/प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित
संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल,
भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक


ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (अभिलेख/मानचित्र) 20/2025.....पटना, दिनांक 25.04.2025
प्रतिलिपि :- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd., GISC, IIC के प्रतिनिधि को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (अभिलेख/मानचित्र) 20/2025.....पटना, दिनांक 25.04.2025
प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय
को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे (अभिलेख/मानचित्र) 20/2025.....पटना, दिनांक 25.04.2025
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान
आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण